हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-5-2022	पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अनु। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30-5-2022 को पेश हो।	
30-5-2022	पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्पष्ट, सारहीन होने से अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाशचन्द्र रेगर ; आर.ए.एस.

प्रकरण सं. - 24/2022 दायरा तारीख - 24-3-22

उनवान

कानजी पिता भावजी जाति भील नि. मलवासा
(प्रार्थी)

बनाम

1. शान्ति पिता खातिया मईडा जाति भील निवासी पिपलोद
2. तहसीलदार, बाँसवाड़ा
(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :-
श्री राजेन्द्र पाटीदार - अधिवक्ता - प्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा - 212 आर.टी. एक्ट

-: निर्णय :- दिनांक - 30/5/22

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे-काश्त खातेदारी की भूमि खाता सं. 558 नया पुराना 213 के सर्वे नम्बर 136/1 रकबा 0.0405 हे., ख.नं. 1558/134 रकबा 0.1214 हे., ख. नं. 1564/629 रकबा 0.0971 हे. तथा ख.नं. 1574/138/1 रकबा 0.1618 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.4208 हे. ग्राम मलवासा पटवार हल्का पाडोकला त० बाँसवाड़ा में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की [illegible] आराजी [illegible] में से अप्रार्थी सं. 1 ने ख. नं. 1574/138/1 [illegible] में जबरन प्रवेश कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है तथा बावजूद समझाईश प्रार्थी को ही बेदखल कर देना चाहता है। प्रार्थी के पास

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

cont. - - -

Scanned by CamScanner

अन्य कोई कृषि भूमि नहीं होने से अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा है। यदि प्रार्थी को अपने खाते के ख. नं. में से ख.नं. 1574/138/1 पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबरन अवैध रूप से किये अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया गया तो उसको असहाय हानि होगी जिसका मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकेगा। प्रथम दृष्टया मौके पर प्रार्थी का कब्जा होकर प्राईमाफेसी केस सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रश्नगत ख. नं. 1574/138/1 में अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध कब्जा कर लिया है उसे अप्रार्थी सं..1 के स्वयं के खर्चे से हटाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा रिक्त कब्जे को प्रार्थी को दिलाया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर मौका में बाधा न डाले, जबरन प्रवेश न करे, लड़ाई-झगड़ा न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने समन लेने से इन्कार किया जिसे तामील स्वीकार किया गया।

प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ... पर गौर किया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित कथनों को ही बहस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र के चरण सं. 3 की प्रारम्भ की तीन पंक्तियों में अंकन " यह घटना एक माह पूर्व की है कि

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) contd. ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त वर्णित सर्वे नम्बरान में से सर्वे नम्बर 1574/138/1 की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है॥" है।
चरण सं. 4 में "जबरन कब्जा कर लेने के कारण प्रार्थी को अपनी ही कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा है।"
चरण सं. 5 में "अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया गया तो - - - - - - - -"
अभिवचनों के रूप में उल्लेख प्रार्थी स्वयं ने किया है।

अन्त में अनुतोष के रूप में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अनाधिकृत किये गये कब्जे को उसीके खर्चे से हटवाकर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा गया है।

रा. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212(1) में उल्लेख निम्नानुसार है -

(1) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथ-पत्र पर या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाय कि -

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है तत्सम्बद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परक्रामण किये जाने के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस सम्पत्ति को हटाने या उसका व्ययन करने की धमकी देता है या विचार रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी [illegible] सकता है और यदि आवश्यक हो तो एक रिसीवर [illegible] सकता है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार [illegible] अपने अभिवचनों व अनुतोष में जो उल्लेख किया है वह अधिनियम contd....

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

के प्रावधानों से मेल नहीं खाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट, सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी
(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner